न्यायालय : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सह विशेष न्यायाधीश, प्रथम, एस.सी. / एस.टी., उत्पाद, शिवहर।

Sheohar SC/ST P.S. Case No.-33/2020

दिनांक–25.02.2021

आवेदक अभियुक्त–1. धीरज सिंह, जिन्हें शिवहर SC/ST थाना काण्ड संख्या–33 / 2020, अंतर्गत धारा–341,323,379,385,504,506 / 34 भा0द0वि0 एवं 3(1)(r),3(1)(s),3(2)(va) SC/ST Act के अपराध के लिए दर्ज है के संबंध में आज दि0 25.02.2021 को न्यायालय में आत्मसमर्पण करते हुए उनकी ओर से दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री पवन कुमार मिश्रा के द्वारा प्रचालित प्रचालित किया गया, जिस पर उनको एवं अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचक तेजनारायण सिंह का पुत्र अम्बा कोठी बाजार पर मिट्ठा, आलु, प्याज का दुकान चलाता है। दिनांक–26.11.2020 को संध्या पॉच बजे अपराधिक प्रवृति के व्यक्ति 1. धीरज सिंह, 2. सुनील सिंह, 3. गुड्डु सिंह ने रंगदारी मॉगने के लिए उसकी दुकान पर आया। रंगदारी उसके पुत्र संदीप पासवान एवं संजय पासवान से मॉग की। रंगदारी नहीं देने पर उनके साथ हाथापाई किया तथा धीरज सिंह द्वारा धमकी दिया गया ~~तथा~~ दिनांक–01.12.2020 तक रंगदारी देने की बात कहा गया। सूचक के मना करने पर उपरोक्त व्यक्ति गंदी–गंदी गाली देने लगे तथा उसके साथ धक्का मुक्की करने लगे। धीरज सिंह ने जाति सूचक गाली देते हुए कहा कि साला, दुसाध होकर हमारे साथ राजनीतिक कर रहा है और पिस्टल निकालकर छाती पर तान दिया तथा गल्ला से 7,000 / – निकाल लिया तथा गाली देते हुए कहा कि साले तुमको हम जेल भेजवाकर दम लेंगे। इसी आधार पर काण्ड अंकित है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है जिन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। ग्रामीण गंदी राजनीति के कारण आवेदक को इस झूठे वाद में फंसाया गया है। आवेदक दिनांक–26.11.2020 को अपने पत्नी के दवा के लिए अम्बाकोठी चौक पर आया था जहॉ सूचक के पुत्र संदीप पासवान एवं संजय पासवान पकड़ लिया तथा जान से मारने के नियत से हथौड़ी से आक्रमण कर दिया जिससे प्रार्थी का सर फुट गया बाद प्रार्थी आवेदक द्वारा सूचक के पुत्रों के विरूद्व पिपराही थाना काण्ड सं0–274 / 2020 दर्ज करा दिया जिससे बचने के लिए बचाव में इस वाद के सूचक ने अपना विशेष जाति का लाभ लेते हुए घटना के एक महीना बाद एक लिखित आवेदन अनु0 जाति / जनजाति थाना पर देकर यह झूठा केस कर फंसाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक सक्षम बंध–पत्र देने को तैयार है। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त किया जाय।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक जमानत का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्व विशेष रूप से कोई निश्चायक आरोप न होकर सामान्य तरह के आरोप हैं तथा धारा–379 भा0द0वि0 बनावटी प्रतीत होता है। आवेदक द्वारा दिनांक– 28.11.2020 को पिपराही थाना काण्ड संख्या–274 / 2020 इस वाद के सूचक के बेटा संदीप पासवान तथा संजय पासवान के विरूद्व अतर्गत धारा–341,323,307,504,506 / 34 भा0द0वि0 दर्ज कराया था तथा एक महीना बाद दिनांक–29.12.2020 को यह पलटा वाद आवेदक के विरूद्व दर्ज कराया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं कोरोना बीमारी के प्रकोप को देखते हुए आवेदक अभियुक्त–1. धीरज सिंह, में से प्रत्येक के द्वारा मो0–10,000 / –(दस हजार रुपया) के दो समान प्रतिभू एवं जमानतदार दाखिल करने पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है, कि अभियुक्त के दोनों जमानतदार स्थानीय होने चाहिए, जिनके पास पर्याप्त अचल सम्पत्ति हो एवं 2. आवेदक अभियुक्त इस आशय का अंडरटेकिंग दाखिल करेगें कि वे विचारण के दौरान पूर्ण सहयोग करेगें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत,

Khyati Singh

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
सह विशेष न्यायाधीश, एस.सी. / एस.टी. शिवहर।
25.02.2021